||

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – अभिषेक गोयल, RAS

प्रकरण संख्या : 28 / 2024
रजिस्ट्रेशन नं. : 2024 / 40

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा (राज)

बनाम

अभियुक्त :–

1. श्री श्रीपाल जैन पुत्र श्री कोदर जी जैन निवासी सदर बाजार पालेदा तह. गढ़ी, जिला बांसवाडा (विक्रेता / मालिक) मैसर्स– श्रीपाल जैन कोदर जैन किराणा स्टोर सदर बाजार पालोदा तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा (राज)
2. श्री दीपेश जैन (विक्रेता / मालिक) मैसर्स– **Rajendra Prasad Dharmraj, Veer Sawarkar Marg, Partapur, Banswara**
3. श्री नरेन्द्र मेहता पुत्र श्री गेंदमल जी मेहता निवासी शांति नगर नियर एम.डी.एस. स्कूल गैस गोडाउन रोड सेक्टर 3 मानवा खेरा, उदयपुर 313002 (विक्रेता / मालिक) मैसर्स **Riddhi Siddhi sales Corporation 1st Floor Plot No 7 B Block, sector 9 Udaipur Raj.**
4. (नोमिनी) मैसर्स **Rasna Pvt. Ltd. D.G.S. Transiogistics India Pvt.Ltd., Plot No 3 Shree Krishn Vihar, Akera Road No 17, VKI Area Jaipur 302013**

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 14–05–2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि **श्री उम्मेद मल टेलर** खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक 01–03–2024 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 02–03–2023 को

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट)
बांसवाड़ा (राज.)

दौराने गश्त 2.00 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों की जाँच हेतु **मैसर्स श्रीपाल जैन कोदर जैन किराणा स्टोर सदर बाजार पालोदा तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा (राज)** पर पहुंचा तो वहाँ पर **श्री श्रीपाल जैन पुत्र श्री कोदर जी जैन** मिले, उन्होने बताया कि वह मालिक है। **विक्रेता एवं गवाहान् की उपस्थिति में श्रीपाल जैन कोदर जैन किराणा स्टोर सदर बाजार पालोदा तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा** का निरीक्षण करने पर दुकान में **रसना (इन्टरनेश्नल इन्सटंट ओरेंज) के 20 पैकटे प्रत्येक पैकेट 500 ग्राम का कुल 10 किग्रा विक्रय हेतु रखा था। रसना (इन्टरनेश्नल इन्सटंट ओरेंज)** में मिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए **रसना (इन्टरनेश्नल इन्सटंट ओरेंज) के 4 पैकेट प्रत्येक में 500 ग्राम कुल 2 किग्रा** वास्ते नमुना जॉच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत **540/–** रु. विक्रेता को नगद चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा **रसना (इन्टरनेश्नल इन्सटंट ओरेंज) के 4 पैकेट प्रत्येक में 500 ग्राम के चार नमूना भाग तैयार कर प्रत्येक भाग** पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा का कोड क्रमांक **W-1318** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी व सील बंद किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। सील बंद नमूनो पर गवाहो के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर मौका फर्द रिर्पोट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर, हस्ताक्षर करने को कहा, जिन्होने स्वयं ने भी पढकर, सुनकर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

कार्यालय पहुचकर फार्म नंबर 6 की प्रतियाँ तैयार की प्रत्येक पर सील मोहर कर एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खा़द्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा.

अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए / 2023 / 205 दिनांक 29–03–2023 एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 226 दिनांक 13–03–2023 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **रसना (इन्टरनेशनल इन्सटंट ओरेंज)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1318** Misbrandad food under section 3(1)(zf)(c)(i) of food safety and standerds act 2006 पाया गया। जिसकी सूचना विक्रेता / मालिक को दी गई, **श्री श्रीपाल जैन पुत्र श्री कोदर जी जैन** ने नमूने की पुनः जाँच हेतु अपील नही की है। फर्म के मालिक **श्री श्रीपाल जैन पुत्र श्री कोदर जी जैन** को पत्र लिखकर फर्म से सम्बन्धित सूचना चाहने एवं उक्त खाद्य पदार्थ **रसना (इन्टरनेशनल इन्सटंट ओरेंज)** किसी अन्य फर्म से खरीदा है तो अग्रीम माल बिल खरीद की सूचना के लिये पत्र लिखा , जिस पर विक्रेता ने **रसना** (इन्टरनेशनल **इन्सटंट ओरेंज) मैसर्स – Rajendra Prasad Dharmraj, Partapur** का अग्रिम माल खरीद बिल प्रस्तुत किया। **मैसर्स – Rajendra Prasad Dharmraj, Partapur** को पत्र लिखकर फर्म से सम्बन्धित सूचना चाहने एवं उक्त खाद्य पदार्थ **रसना** (इन्टरनेशनल **इन्सटंट ओरेंज)** किसी अन्य फर्म से खरीदा है तो अग्रीम माल बिल खरीद की सूचना के लिये पत्र लिखा , जिस पर **मैसर्स– Riddhi Siddhi sales Corporation Udaipur** से खरीद बाबत् सूचित किया। **मैसर्स – Riddhi Siddhi sales Corporation Udaipur** को पत्र लिखकर फर्म से सम्बन्धित सूचना चाहने एवं उक्त खाद्य पदार्थ **रसना** (इन्टरनेशनल **इन्सटंट ओरेंज)** किसी अन्य फर्म से खरीदा है तो अग्रीम माल बिल खरीद की सूचना के लिये पत्र लिखा , जिस पर **Rasna Pvt.Ltd. Jaipur** से खरीद बाबत् सूचित किया। विक्रेता द्वारा **रसना** (इन्टरनेशनल **इन्सटंट ओरेंज)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 05–03–2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपीगणो को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 08—04—2024 को अप्रार्थी सं 1 से 4 ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्तगण अपने पर लगे आरोप स्वीकार करते है अभियुक्त न्यायालय के आदेश को स्वीकार करने के लिये तैयार है।

आरोपीगणो की ओर से अपराध स्वीकार किया गया है अतः किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए / 2023 / 205 दिनांक 29—03—2023 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 226 दिनांक 13—03—2023 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **रसना (इन्टरनेशनल इन्सटंट ओरेंज)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1318** Misbrandad food under section 3(1)(zf)(c)(i) of food safety and standerds act 2006 पाया गया है। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zf)(c)(i) के तहत मिसब्राण्डेड पाया गया **रसना (इन्टरनेशनल इन्सटंट ओरेंज)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम—2006 व नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः आरोपीगणो को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी श्री श्रीपाल जैन पुत्र श्री कोदर जी जैन निवासी सदर बाजार पालेदा तह. गढ़ी, जिला बांसवाडा (विक्रेता / मालिक) मैसर्स— श्रीपाल जैन कोदर जैन किराणा स्टोर सदर बाजार पालोदा तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा को रूपये 3000 / — (अक्षरे तीन हजार रुपया मात्र), श्री दीपेश जैन (विक्रेता / मालिक) मैसर्स— **Rajendra Prasad Dharmraj, Veer Sawarkar Marg, Partapur, Banswara** को रूपये 5000 / — (अक्षरे पाँच हजार रुपया मात्र), श्री नरेन्द्र मेहता पुत्र श्री गेंदमल जी मेहता निवासी शांति नगर नियर एम.डी.एस. स्कूल गैस गोडाउन रोड सेक्टर 3 मानवा खेरा, उदयपुर 313002 (विक्रेता / मालिक) मैसर्स **Riddhi Siddhi sales Corporation 1st Floor Plot No 7 B Block, sector 9 Udaipur Raj.** को रूपये 10000 / — (अक्षरे दस हजार रुपया मात्र), (नोमिनी) मैसर्स **Rasna Pvt. Ltd. D.G.S. Transiogistics India Pvt.Ltd., Plot No 3 Shree Krishn Vihar, Akera Road No 17, VKI Area Jaipur 302013** को रूपये 100000 / — (अक्षरे एक

लाख रुपया मात्र) दण्डित कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04—लोक स्वास्थ्य, 800—अन्य प्राप्तियां, (03)—खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा—पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 14—05—2024 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अभिषेक गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति0 जिला मजिस्ट्रेट)
बांसवाड़ा (राज.)